

**कृषि फसल बीमा योजनाओं की
निष्पादन लेखापरीक्षा
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

संघ सरकार (सिविल)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
2017 की प्रतिवेदन संख्या 7
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

| विषय-सूची | | |
|-----------------|--|-----------|
| | विषय | पृष्ठ सं. |
| | प्राक्कथन | v |
| | कार्यकारी सारांश | vii |
| अध्याय-1 | प्रस्तावना | |
| 1.1 | पृष्ठभूमि | 1 |
| 1.2 | विभिन्न अस्तित्वों की भूमिका | 5 |
| 1.2.1 | भारत सरकार | 5 |
| 1.2.2 | कार्यान्वयन अभिकरण | 5 |
| 1.2.3 | राज्य सरकारें | 6 |
| 1.2.4 | बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई) | 6 |
| 1.3 | लेखापरीक्षा उद्देश्य | 8 |
| 1.4 | लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा नमूना | 8 |
| 1.5 | लेखापरीक्षा पद्धति | 9 |
| 1.6 | लेखापरीक्षा मापदण्ड | 10 |
| 1.7 | आभार | 10 |
| अध्याय-2 | वित्तीय प्रबंधन | |
| 2.1 | प्रस्तावना | 11 |
| 2.2 | बजट आबंटन तथा व्यय | 11 |
| 2.3 | भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड (एआईसी) के पास एनआईएस के अंतर्गत बचतें | 13 |
| 2.4 | जांच के बिना निजी बीमा कम्पनियों को निधियों का निर्गम | 15 |
| 2.5 | सरकारो के दावा अंशो हेतु पुनः बीमा कवर का लाभ न उठाना | 16 |
| 2.6 | उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) | 17 |
| 2.6.1 | आईए द्वारा राज्यों को यूसी का प्रस्तुतीकरण न किया जाना | 17 |

| | | |
|-----------------|--|----|
| 2.6.2 | बैंक/एफआई द्वारा एआईसी को यूसी का प्रस्तुतीकरण न किया जाना | 17 |
| | निष्कर्ष | 19 |
| | अनुशंसाएं | 20 |
| अध्याय-3 | योजनाओं का कार्यान्वयन | |
| 3.1 | प्रस्तावना | 21 |
| 3.2 | किसानों के डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं होना | 21 |
| 3.3 | किसानों का कवरेज | 22 |
| 3.4 | बीमा के निर्धारित क्षेत्र/इकाई क्षेत्र को अपनाना | 31 |
| 3.5 | राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचनाएं जारी करने में विलंब | 31 |
| 3.6 | किसानों को बैंक/एफआई द्वारा घोषणाओं की विलंबित प्रस्तुति के कारण लाभ से वंचित रखना | 32 |
| 3.7 | फसल कटाई परीक्षण | 33 |
| 3.8 | स्वचालित मौसम स्टेशनों की कार्यप्रणाली | 35 |
| 3.9 | कृषि विभाग को मौसम डाटा प्रदान करने में विलम्ब | 38 |
| 3.10 | बुवाई क्षेत्र के आधिक्य में बीमाकृत क्षेत्र | 38 |
| 3.11 | दावों की स्थिति | 42 |
| 3.12 | बैंक/एफआई के निष्पादन में कमियां | 44 |
| 3.13 | बीमा कम्पनियों के निष्पादन में कमियां | 46 |
| 3.14 | बीमा कम्पनियों का गलत चयन | 48 |
| | निष्कर्ष | 49 |
| | अनुशंसाएं | 50 |
| अध्याय-4 | योजना की मॉनिटरिंग तथा जागरूकता | |
| 4.1 | प्रस्तावना | 51 |
| 4.2 | जीओआई तथा राज्य सरकारों द्वारा खराब मॉनिटरिंग | 51 |
| 4.3 | कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा खराब मॉनिटरिंग | 53 |
| 4.4 | निजी बीमा कम्पनियों को जारी निधियों की सरकारी लेखापरीक्षा का गैर-प्रावधान | 53 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 4.5 | एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस में प्रीमियम के कैपिंग का प्रभाव | 54 |
| 4.6 | किसानों में फसल बीमा योजनाओं की जागरूकता की कमी | 55 |
| 4.7 | शिकायत निवारण प्रणाली का अभाव | 56 |
| | निष्कर्ष | 56 |
| | अनुशंसाएं | 57 |
| | परिशिष्ट | 59-65 |
| | अनुबंध | 67-91 |
| | पारिभाषिक शब्द और संक्षिप्तीकरणों की शब्दावली | 93-95 |